19

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–दतिया

निगरानी - 2631/2018/ दतिया/भू.रा.

श्रीमती सुधारानी पत्नी रामबिहारी चतुर्वेदी
निवासी– मेहदी बाग झांसी जिला झांसी
(म.प्र.)

––आवेदिका

विरूद्ध

1– हर्षवर्धन पुत्र श्री रामबिहारी सरपरस्त माँ श्रीमती सुमन पत्नी श्री रामबिहारी
निवासी – वार्ड नं. 15 मोहल्ला ठकुरास कस्बा भाण्डेर जिला – दतिया (म.प्र.)

2– कमला देवी बेवा पत्नी लखनलाल
निवासी – कस्बा भाण्डेर जिला दतिया म.प्र.

–– अनावेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधि. द्वारा आज दि. 28.4.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 11.5.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 28/4/18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर जिला दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/2017–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 10.01.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम नौबई में स्थित भूमि सर्वे नं. 175 रकवा 1.21 है0 तथा भूमि सर्वे नं. 175 रकवा 1.21 है0, 663/1 रकवा 0.15 है0, सर्वे नं. 625/1 रकवा 0.46 है0 मौजा रामगढ का नामान्तरण वसीयतनामा के आधार पर आवेदिका सुधारानी की ओर से तहसीलदार भाण्डेर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर तहसीलदार भाण्डेर द्वारा विधिवत् रूप से प्रकरण क्रमांक 46/अ–6/2013–14 पंजीबद्व कर, अपने पारित आदेश दिनांक 10.10.2014 से नामान्तरण के आदेश दिये गये थे।

2. यहकि, तहसीलदार भाण्डेर के उपरोक्त आदेश के विरूद्व अनावेदक क्रमांक 1 हर्षवर्धन द्वारा प्रथमं अपील अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर के न्यायालय में अपील प्रकरण क्रमांक 21/2017–18 प्रस्तुत की गयी थी। जिसमें आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी एवं परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र साथ

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी / 2631/2018/दतिया/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03/-7/-18	आवेदक के अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर जिला दतिया म0 प्र0 के प्रकरण क्रमांक 21/2017-18 अपील में पारित आदेश दिनांक 10.01.2018 के विरूद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई । 2- आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि सर्वप्रथम आवेदन पत्रों का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निराकरण किया जाना चाहिए था। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतिम निराकरण तक स्थगन जारी किया गया है जो विधि विरूद्ध है। 3- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया अध्ययन से प्रतीत होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10.01.18 को धारा 5 अवधि विधान आवेदन पत्र स्वीकार किया है। लेकिन उसमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि धारा 5 का आवेदन क्यों स्वीकार किया गया है। अत: अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दियाजाता है कि धारा 5 के आवेदन का विस्तार पूर्वक उल्लेख करते हुए आदेश पारित करें। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक	

10.01.18 मात्र धारा 5 के आवेदन पर ही लागू होगा। शेष आदेश यथावत् रहेगा। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

सदस्य